मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

क्रमांक/ 2286 /2522/2015/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा इस आदेश के संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार **विद्यार्थी द्वारा बैंक से उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के निपटान हेतु राज्य शासन की नवीन योजना** लागू करती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक/ 2287/2522/2015/ई/चार भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
3. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
11. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
14. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, भोपाल।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल।
16. प्रदेश में कार्यरत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंक के राज्य स्तरीय प्रमुख।
17. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
18. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, टी0टी0नगर, भोपाल।
19. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।
20. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

विद्यार्थी द्वारा बैंक से उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के निपटान हेतु राज्य शासन की नवीन योजना

भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिये जारी मॉडल योजना अनुसार देश में कार्यरत सभी बैंकों को योजना के प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

2/– बैंकों द्वारा देश में उच्च शिक्षा ऋण योजना प्रारम्भ करते समय योजना अंतर्गत ऋण लेने वाले विद्यार्थी का जीवन बीमा/दुर्घटना बीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। भारतीय बैंक संघ द्वारा दिनांक 31–05–2012 को जारी पुनरीक्षित योजना में ऋण लेने वाले विद्यार्थी के जीवन बीमा का प्रावधान ऋणी की सहमति उपरान्त करने का प्रावधान किया गया है। अतः, वर्तमान में चालू योजना अंतर्गत भी ऋण लेने वाले विद्यार्थी के जीवन बीमा कराने की बाध्यता नहीं है।

3/– राज्य शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें विद्यार्थी द्वारा बैंक से अपनी उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त किया गया और ऐसे विद्यार्थी की शिक्षा के दौरान अथवा शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त ऋण चुकारे की अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु होने की दशा में विद्यार्थी के परिवार पर ऋण एवं उस पर देय ब्याज का भार आ जाता है। यदि ऐसे विद्याथी का तत्समय जीवन बीमा किया होता तो संभवतः परिवार पर ऋण एवं ब्याज का भार नहीं आता। चूंकि विद्यार्थी का जीवन बीमा करवाया जाना बाध्यता नहीं है। ऐसी दशा में वर्तमान में भी अनेक परिवार जीवन बीमा करवाने में हिचकते हैं तथा बैंक को बीमा नहीं करवाने हेतु मजबूर करते हैं। जहॉ तक संभव हो, बैंक द्वारा ऋण लेने वाले विद्यार्थी का ऋण राशि के समकक्ष राशि का जीवन बीमा किया जाये। विद्यार्थी द्वारा बैंक से उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के निपटान हेतु योजना के प्रावधान निम्नानुसार रहेंगेः–

3.1 वर्तमान में प्रचलित शिक्षा ऋण खातों में तथा भविष्य में स्वीकृत होने वाले शिक्षा ऋण के प्रकरणों में बैंकों द्वारा ऐसे विद्यार्थी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा अनिवार्यतः किया जावे। यदि किसी विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु होती है

तो बीमा योजनाओं के अंतर्गत दावा राशि प्राप्त होने के पश्चात एन0पी0एं0 की दिनांक पर शेष बची राशि की 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा बैंक को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा माफ की जायेगी।

3.2 बैंक द्वारा ऐसा प्रकरण राज्य शासन के संज्ञान में लाने के 60 दिवस के भीतर राशि बैंक को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें।

3.3 यह सुविधा सिर्फ ऐसे प्रकरणों में ही लागू होगी जहां विद्यार्थी का जीवन बीमा नहीं हुआ है। यदि शिक्षा ऋण के विरूद्ध बैंक द्वारा विद्यार्थी का जीवन बीमा करवाया गया है तो ऐसे ऋण का सेटलमेंट बैंक द्वारा जीवन बीमा के दावे से प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेगा।

3.4 उक्त योजना सिर्फ विद्यार्थी की असामयिक मृत्यु एवं स्थायी अपंगता के प्रकरणों में ही लागू होगी।

3.5 इस हेतु राज्य शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। उक्त समिति में संबंधित बैंक के प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सदस्य होंगे। आयुक्त संस्थागत वित्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

3.6 राज्य शासन/बैंक के संज्ञान में आने वाले ऐसे प्रकरणों की सूचना, समिति के सदस्य सचिव को तत्काल दी जायेगी। जिससे कि समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जा सके।

3.7 संबंधित बैंक द्वारा विद्यार्थी के पालक/अभिभावक/स्वयं के पास उपलब्ध निम्नांकित दस्तावेज समिति के समक्ष रखने हेतु उपलब्ध कराये जावेगें:–

अ. बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति आदेश

ब. ऋण खाते का तातारीख बैंक स्टेटमेंट

स. विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मार्कशीट की छायाप्रतियां

द. विद्यार्थी की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति

ई. विद्यार्थी की स्थायी अपंगता होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी अपंगता के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति

फ. विद्यार्थी की दुर्घटना अथवा अन्य कारण से मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति (लागू होने पर)

3.8 राज्य शासन द्वारा अपने हिस्से की अनुदान राशि बैंक को उपलब्ध कराने के पश्चात एक माह की अवधि में बैंक द्वारा सहऋणी/गारंटर कों "नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र" जारी किया जायेगा। यदि बैंक के पास किसी ऐसे ऋण के विरूद्ध किसी प्रकार की सम्पत्ति बंधक के रूप में रखी गई है तो ऐसी सम्पत्ति को भी राज्य शासन से अनुदान राशि प्राप्त होने के एक माह में बंधकमुक्त किया जायेगा।

4/– इस योजना का कियान्वयन संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा किया जायेगा।